मातृत्व लाभ के बिना

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था, स्वास्थ्य) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक - अदिति प्रिया (एमए छात्रा, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स)

29 नवम्बर, 2018

''सरकार के प्रसूति लाभ कार्यक्रम को बेहतर तरीके के साथ लागू किया जाना चाहिए और खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अनुपालन किया जाना चाहिए।''

झारखंड में रहने वाली यशोदा देवी अपने तीसरे बच्चे के साथ पांच महीने की गर्भवती थीं, जब हम (लेखक) जून में इनसे मिले थे। वह काफी दर्द में थी। डॉक्टर ने उसे बताया था कि वह बहुत कमजोर है और उसे अपने पोषण सेवन में सुधार लाने की आवश्यकता है। लेकिन सुश्री देवी के पास डॉक्टर की सलाह का पालन करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था।

अपने उद्देश्य को सफल बनाने में नाकाम

सुश्री देवी झारखंड के दो ब्लॉक में फैले 12 गांवों में एक छोटे से सर्वेक्षण के दौरान साक्षात्कार में 98 महिलाओं में से एक थीं: लातेहार जिले में मणिका और खूंटी जिले में खूंटी। हमने गर्भावस्था और प्रसव के दौरान उत्तरदाताओं द्वारा अनुभव की गई वित्तीय और शारीरिक कठिनाइयों के बारे में पूछताछ की, और साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), जो एक प्रसूति लाभ कार्यक्रम है और इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च हुए लगभग एक साल हो गये हैं, का भी अध्ययन किया।

वर्ष 2013 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत, प्रत्येक गर्भवती महिला 6,000 रूपए के प्रसूति लाभ के हकदार है, लेकिन तब तक जब तक कि वह पहले से सरकारी कर्मचारी या अन्य कानूनों के तहत समान लाभ प्राप्त नहीं कर रही हो।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर, 2016 को पीएमएमवीवाई की घोषणा की थी। दुर्भाग्य से, यह कई तरीकों से एनएफएसए का उल्लंघन करता है। सबसे पहले, लाभ को प्रति बच्चे 6,000 से 5,000 रूपए तक कम कर दिया गया हैं। दूसरा, अब यह पहले जीवित बच्चे तक ही सीमित हैं। तीसरा, वे 18 साल से ऊपर की महिलाओं तक सीमित हैं।

यह योजना बड़े पैमाने पर उस उद्देश्य को कमजोर बना देती है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया था: हाल के एक विश्लेषण के मुताबिक, इसमें सभी गर्भधारण के आधे से अधिक शामिल नहीं हैं, क्योंकि प्रथम क्रम के जन्म भारत में सभी जन्मों का केवल 43% है। हमारे रिपोर्ट के अनुसार, आधे से कम महिलाएं पीएमएमवीवाई योग्यता मानदंडों को पूरा कर पाई हैं। योग्य में से, आधे से अधिक ने मातृत्व लाभ के लिए आवेदन किया था।

आवेदन प्रक्रिया बोझिल और कठिन है: आवेदक के मां-बाल संरक्षण कार्ड, उसके आधार कार्ड, उसके पति के आधार कार्ड की एक प्रति के साथ, तीनों किस्तों में से प्रत्येक को हस्ताक्षरित और जमा करना होगा और अपने आधार संख्या से जुड़े बैंक खाते का विवरण देना होगा।

आधार के साथ आवेदक के बैंक खाते की अनिवार्य लिंकिंग अक्सर समस्याएं पैदा करती है। इसके अलावा, पीएमएमवीवाई उन महिलाओं को कम सहायता प्रदान करती है जो अपने बच्चे को खो देती हैं, क्योंकि लगातार भुगतान केवल तभी किए जाते हैं जब संबंधित शर्तों को पूरा किया जाए।

कई कठिनाइयां

हमारे रिपोर्ट में गर्भवती महिलाओं द्वारा कठिनाई का सबसे खराब रूप, धन की कमी, गर्भावस्था के दौरान अपने पोषण सेवन में सुधार करने या यहां तक कि ठीक से खाने में असमर्थता थी।

सुश्री देवी, अपनी दूसरी गर्भावस्था के दौरान और उससे पहले, किसी और के क्षेत्र में काम कर रही थीं, जहां उन्हें प्रति दिन (5 किलो प्रति दिन अनाज) भुगतान किया जाता था। इस बार, जब वह दर्द में थी, तो वह अपनी गर्भावस्था के दौरान मजदूरी के लिए काम करने में असमर्थ थी। इसने पारिवारिक आय को कम कर दिया, जो पहले से ही आखिरी डिलीवरी के कर्ज से परेशान थी, जहाँ उन्हें उधार लेकर और संपत्ति बेचकर 12,000 से अधिक रूपए खर्च करना पड़ा था।

सुश्री देवी ने कहा कि अगर उन्हें पीएमएमवीवाई के तहत प्रसूति लाभ प्राप्त हो जाता, तो वह डॉक्टर के सलाह के अनुसार अपने स्वास्थ्य की देखभाल और पौष्टिक भोजन खाने के लिए पैसे का इस्तेमाल कर सकती थीं। इनकी तरह ही वैसी 42% महिलाएं जो गर्भावस्था से पहले प्रति दिन 126 रूपए की औसत से मजदूरी कर रही थी, वे गर्भावस्था के दौरान काम नहीं कर पाई और उनकी मजदूरी शून्य हो गयी। हमारे रिपोर्ट में, औसतन, उत्तरदाताओं ने अकेले अपने वितरण पर 8,272 रूपए खर्च किए। प्रसव या गर्भावस्था के दौरान पैसे खर्च करने वाले उत्तरदाताओं में से आधे ने कहा कि उन्हें खर्चों को पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ा।

उत्तरदाताओं के परिवारों के लिए संपत्तियों को बेचने या इन लागतों को कवर करने के लिए दूसरे राज्यों में जा कर काम करना भी आम बात थी। जबकि पीएमएमवीवाई गरीब परिवारों को इन वित्तीय आकस्मिकताओं से बचाने में पूरी तरह से सक्षम है।

एनएफएसए में मातृत्व हक के प्रावधान उन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो औपचारिक क्षेत्र में नियोजित नहीं हैं। हालांकि, पीएमएमवीवाई, हकदार राशि और मानदंडों को कम करने के कारण इस प्रावधान को कमजोर बनाता है। यहां तक कि इस प्रतिबंधित रूप में भी योजना अभी तक योग्य महिलाओं तक अपनी पहुँच बनाने में नाकाम रहा है क्योंकि कार्यान्वयन का रिकॉर्ड आज तक निराशाजनक ही रहा है।

हमारे रिपोर्ट में, 30 महिलाओं ने मातृत्व लाभ के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनमें से किसी को भी वास्तव में पीएमएमवीवाई से धन प्राप्त नहीं हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ महिलाओं को जून तक दोनों जिलों में पीएमएमवीवाई लाभ प्राप्त हुए थे (यह ब्लॉक कार्यालयों द्वारा पुष्टि की गई थी), लेकिन संख्या इतनी छोटी थी कि उनमें से कोई भी हमारे रिपोर्ट में शामिल नहीं हो पाया। इस योजना ने हर जगह बहुत कम सफलता पायी है जिसमें सबसे कम सफलता झारखंड को मिला है।

यहाँ तत्काल व्यवस्था बेहतर कार्यान्वयन के साथ-साथ एनएफएसए के साथ योजना का अनुपालन करना है। सभी गर्भावस्थाओं के लिए मातृत्व लाभ कम से कम प्रति बच्चे 6,000 रूपए से बढ़ाया जाना चाहिए और साथ ही इसे केवल पहले जीवित बच्चे तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए।

GS World टीम...

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में वित्तीय समावेश के लिए तकनीक का उपयोग करने वाले डिजिटल वित्तीय समावेश केंद्र (Centre for Digital Financial Inclusion – CDFI) ने एक डाटा निर्गत किया है।
- इसके अनुसार सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अर्हता प्राप्त माताओं को प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण द्वारा अब तक 1,600 करोड़ रुपये स्थानांतरित किये गये हैं। ऐसी माताओं की कुल संख्या 48.5 लाख है।

CDFI क्या है?

- CDFI एक लाभ-रहित संगठन है। इसी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना- सामान्य ऐप सॉफ्टवेयर (PMMVY-CAS) की अभिकल्पना और रूपांकन किया था और इसी के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ का भुगतान होता है।

PMMVY क्या है?

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक मातृत्व लाभ की योजना है।
- इसका आरम्भ वर्ष 2010 में इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से (IGMSY) हुआ था।
- इस योजना के अंतर्गत पहले बच्चे के जन्म के लिए 19 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नकद राशि दी जाती है।
- इस राशि से बच्चा होने और उसकी देखभाल करने के कारण दिहाड़ी की क्षति का सामना करने वाली महिला को आंशिक क्षतिपूर्ति दी जाती है।
- साथ ही इससे सुरक्षित प्रसव और उत्तम पोषण का प्रबंध किया जाता है।
- **अपवाद :** जो महिलाएँ केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में काम करती हैं अथवा जिन्हें इसी प्रकार का लाभ पहले से मिल रहा है, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- **वित्त पोषण :** यह एक केंद्र संपोषित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य की लागत 60:40 होती है। पूर्वोत्तर राज्यों में और तीन हिमालयवर्ती राज्यों में यह अनुपात 90:10 है। जिन केंद्र शासित क्षेत्रों में विधान सभा नहीं है, वहाँ इस योजना के लिए केन्द्रीय योगदान 100% होता है।

महत्त्व

- महिलाओं में कुपोषण की समस्या आज भी व्याप्त है। भारत में हर तीसरी महिला कुपोषित है और हर दूसरी महिला में रक्ताल्पता की शिकायत है।
- कुपोषित महिला से जन्मे बच्चे का भार भी कम होता है। जब बच्चा पेट में है, उसी समय से पोषाहार मिले तो इसका लाभ बच्चे को जीवन-भर के लिए मिल जाता है।
- यह योजना इसी समस्या को केंद्र में रखकर पोषाहार पर विशेष बल देती है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को भी दिया जाएगा।
   2. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना की पूर्ववर्ती है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य नहीं है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ पहले बच्चे के जन्म के लिए सभी उम्र की गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है।
   2. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना केंद्र नियोजित है, जिसमें केंद्र और राज्य की भागीदारी 60:40 है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। क्या यह अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो रही है? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

नोट : 28 नवम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।